an>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Compulsory Voting Bill, 2014 (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now the House shall take up Item No.74 –Further consideration of the motion moved by Shri Janardan Singh 'Sigriwal' on the 13th March, 2015 in respect of Compulsory Voting Bill.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने साथी श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी के अनिवार्य मतदान के विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, भारत के संविधान में जब संविधान सभा पेश हो रही थी, उस प्रस्तावना को पढ़ना चाहूँगा। उसमें कहा गया है, " हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व, सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। "

महोदय, जब संविधान के निर्माताओं ने इस बात को सोचा कि आखिर वे कौन लोग हैं, जिन सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को यह संविधान समर्पित हो रहा था, तो उन्होंने कल्पना की कि एक भी व्यक्ति इस राष्ट्र से अछूता न रहे। आजादी के इतने दिनों के बावजूद आज मतदान का जो प्रतिशत है, वह 50 से 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पा रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। हमको यह सोचना चाहिए कि जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, उनके इस कार्य को हम लोग किस रूप में रेखांकित करें? आखिर वे मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका क्या कारण है कि मतदान में उनकी रुचि नहीं है? क्या लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है? अगर लोकतंत्र में उनका विश्वास न होता तो वे इस देश में नहीं रहते। यह लोकतंत्र ही है कि मेरे जैसा एक छोटे से मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा आज लोकतंत्र के कारण इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर आया है। यह लोकतंत्र ही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। ऐसी कोई और व्यवस्था नहीं है जिससे इस विविधता भरे देश में जहां हर पांच-दस किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं, तब भी यह देश पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो यह लोकतंत्र है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि लोगों की मतदान में रुचि नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र में उनका विश्वास है। अगर विश्वास न होता तो यह देश इतनी मजबूती से आजादी के 68-70 बीतने के बाद बढ़ न रहा होता।

महोदय, जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी इसमें रुचि नहीं है? जहां तक रुचि का सवाल है, तो उन्हें उनकी रुचि पर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह सवाल देश के निर्माण का है, देश की एकता का है और देश की अखंडता का है। हम उनकी रुचि पर इसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह विषय रुचि का हो ही नहीं सकता है। यह देश की गरिमा का सवाल है। यह देश के सवा सौ करोड़ लोगों का सवाल है। इसे केवल उनकी रुचि पर नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतंत्र की नींव इसमें तभी मजबूत हो सकती है, जब इसमें एक-एक मतदाता भाग ले।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि कुछ लोग अपने आलस्य के कारण मतदान में हिस्सा न लेते हों। यह आलस्य और रुचि का सवाल नहीं है। यह उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। जब देश के संसाधन, विकास और अन्य सारी चीजों में उनका हिस्सा है, वे हर चीज में दावा करते हैं, देश उनको साथ लेकर चलता है तो यह उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह आलस्य का विषय भी नहीं है।

जो लोग इसके विरोध में हैं, जो लोग कहते हैं कि अनिवार्य मतदान नहीं होना चाहिए, कुछ लोग यह दावा करते हैं कि देश में राजनैतिक वातावरण नहीं है, इसलिए वे रुचि नहीं लेते हैं। आखिर राजनैतिक वातावरण को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है, क्या यह इस देश के नागरिकों की नहीं है? इस देश का वातावरण कैसे बदलेगा? किस माध्यम से इस राजनैतिक वातावरण को बदला जा सकता है। उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है, वह माध्यम मतदान है। मतदान के अलावा इसका और कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप मतदान नहीं करेंगे, तब तक आप किसी चीज को बदल नहीं सकेंगे। लोग बंद कमरों में बैठ कर राजनैतिक विश्लेषण करेंगे, राजनैतिक चर्चा करेंगे, सरकार को बनायेंगे और बिगाड़ेंगे और जिस दिन वोट देने की बात आयेगी, वोट देने का जो अधिकार संविधान में उन्हें मिला है, उनका वे प्रयोग नहीं करेंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया गया है।

कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें प्रत्याशी पसंद नहीं है। अगर प्रत्याशी नहीं पसंद है तो उसका क्या कारण है, उसको आप कैसे बदल सकते हैं, उसके प्रति आप अपनी अनिच्छा कैसे प्रकट कर सकते हैं? वह केवल घर में बैठ कर चर्चा करने से नहीं होगा, आपको नोटा का एक बटन मिला है, आप उसका प्रयोग करिए, लेकिन आपको वह प्रयोग करना पड़ेगा। आपको मतदान के लिए जाना पड़ेगा। आप बिना मतदान के अपने प्रत्याशी को कैसे चुनेंगे? आप घर में बैठे-बैठे किसी विषय के प्रति कैसे राय बना सकते हैं?

कुछ लोग जो इसके घोर विरोधी हैं, जो अनिवार्य मतदान के विरोध में लिखते हैं उनके दो-तीन सवाल हैं, उनके सवाल ज्यादा नहीं हैं। वह भी मानते हैं कि देश में अनिवार्य मतदान होना चाहिए। वह कहते हैं कि आंतरिक पलायन और स्वास्थ्य का मामला है।

आज टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आज यह संभव नहीं है, आज से 68 साल पहले देश में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, दुनिया में इतने ज्यादा संसाधन उपलब्ध होते तो शायद उसी समय अनिवार्य मतदान कर दिया जाता। आज देश में और दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं कि जो जहां से चाहे वहां से मतदान कर सकते हैं। अनिवार्य मतदान केवल मतदान नहीं है, इसके माध्यम से बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, इसके माध्यम से देश से तुष्टीकरण दूर हो सकता है, देश में मतदाताओं की एक सूची बन सकती है, इस देश में जो चुनाव अव्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। यह अनिवार्य मतदान इस देश के लिए मील का पत्थर' साबित होगा। इसलिए अनिवार्य मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कुछ समस्यायें हो सकती हैं लेकिन जब इस पर चर्चा होगी और सरकार इस पर गंभीर रूप से विचार करके, जब इसके लिए नियमावली बनायेगी तो जितने विरोधियों के इसके विपक्ष में जो तर्क हैं, वे अपने-आप ध्वस्त हो जायेंगे। अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से एक मतदान की व्यवस्था कर सकती है और जिस दिन इस देश में अनिवार्य मतदान हो गया, इस देश से तुष्टिकरण स्वतः हो जायेगी, फिर देश के राजनैतिक कार्यकर्ता सिर्फ वोट के लिए नहीं दौड़ेंगे, वे क्षेत्र में जाकर समाज के विषय में बात करेंगे। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Sir, I primarily support the Bill on compulsory voting rights, but whenever we think of voting, I believe that as Indians, we should really go back a little bit into history. At the time of Independence, when Gandhiji said that 'only the people who have passed matriculation should get voting rights', Baba Saheb Ambedkar had said 'everybody should get voting rights'. Everybody, who has a right to vote as a citizen of this country, is treated equally. So, right to vote has, in a greater sense, given a sense of respect to everybody in the village and particularly it has drowned the differences of caste and community and social inequality to a greater extent.

In the very same country which wanted voting rights for everybody, now we are in a situation where we are requesting everybody to come and vote. Primarily, this Bill speaks about certain interesting aspects where it proposes punishment if people do not vote and where it also proposes incentives when people come and vote. Before going into that, I would really say that all of us as politicians and public representatives today should think and introspect a little bit. Maybe few bad apples have rotten the whole basket. In the similar sense, few bad politicians or few bad examples

have brought about a great bad name to our entire institution. People today feel that whatever a politician says is like वादा हमेशा खाली जाता है and they never fulfil what they say and so, what the point is in their voting.

When we clearly examine the voting pattern – illiterate *versus* literate votes – illiterates tend to vote more than the literates generally, somehow in the villages and rural areas. The literate people, who are very well educated, who know and understand the system, who know that they can change the system, they somehow do not come and vote. Now, the question is : How do we bring them to vote? Doing it by punishing somebody or by taking away somebody's driving licence, I do not think, is a true meaning of democracy. People should be driven and people should be inspired so that they come on their own to vote. How do we make that happen? It can be done by increasing the respect of institutions like this.

When our colleague has brought this Bill, I would also request him to add a few more provisions. A political party has to get a minimum of 17 per cent votes to call itself a registered party, but when the very same party does not fulfil its promises, there is no provision anywhere in the rules of the Election Commission as to what that party is to do or what punishment the Election Commission can give to that party. Or individually as a Member of Parliament, I give ten promises to my people and if I cannot fulfil all of them, at the end of my term, I think, I should be, by law, liable to give explanation to the people. Until and unless that kind of accountability comes to our institution, I do not think that any amount of punishment will drive people to come and vote.

I sincerely understand the anguish, pain and concern of the fellow Member who has brought this Bill, but there are many sections which talk about punishing the citizens and many sections which talk about incentivising the citizens who vote. I do not agree with most part of it; I do agree with the spirit of the Bill.

I support the Bill, but I also request and recommend to all my fellow colleagues that let us be more accountable, let us try and improve the quality of debate in the House, let us try and improve the respect of our institution. Then, the people will automatically come and vote.

Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कम्पलसरी वोटिंग बिल, 2014 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं जनार्दन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सोच जो डैमोक्रेसी में सबसे जरूरी है, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना, उसे इस सदन के समक्ष लाने का काम किया।

16.59 hrs (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

जहां इस बिल को पढ़कर खुशी हुई वहीं दूसरी ओर कई ऐसी खामियां भी दिखीं जिनके तहत मुझे लगता है कि इस बिल को दुबारा रिवाइज करना चाहिए। इसबिल को लाने की बात बहुत की जाती है। एक देश जिसकी जनसंख्या 123 करोड़ लोगों की है, मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल कार्य अगर कुछ होगा तो वह यह होगा। 18 साल से ऊपर के एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना सबसे बड़ी समस्या होगी।

17.00 hrs

जितने इलिजबल वोटर्स हैं, उन सभी को एक दिन के अंदर पोलिंग बूथ में लाना और वोट डलवाना कठिन है, चुनाव आयोग की दिक्कतों को लाना, ये तमाम बैरियर हैं। इन बैरियरों को पढ़कर और समझ कर इसमें सुधार लाना पड़ेगा।

हम अक्सर टीवी और अखबारों में देखते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर हमारा वोट कोई और दे देता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो पोलिंग अधिकारी कहते हैं कि आपका वोट सुबह नौ बजे डाल दिया गया। आज आधार कार्ड के लिए फिंगर प्रिंट लिए जा रहे हैं, बायोमिट्रिक आई-स्कैन ली जा रही है। क्यों नहीं वोटिंग मशीन में भी फिंगर प्रिंटिंग जैसी सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है? जिसमें बायोमिट्रिक वेरिफिकेशन की सुविधा हो, जिससे पता चल सके कि जो वोट डाला जा रहा है वह उसका खुद का वोट है न कि किसी दूसरे के नाम पर वोट डाल जा रहा है। आज 20 से ज्यादा देशों में कम्पल्सरी वोटिंग जैसे कानून हैं। सिंगापुर हमारे सिटी स्टेट के बराबर हैं, वहां कम्पलसरी वोटिंग सही तरह से चल रही है किंतु बड़े देश आस्ट्रेलिया में यह सुविधा सही तरह से नहीं चल रही है। अगर हम अपने देश में इस तरह का कानून लाएंगे तो सबसे बड़ा बैरियर हमारी जनसंख्या होगी। बिल के दूसरे पेज पर मैंने पढ़ा कि जो व्यक्ति वोट नहीं डालेगा उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा, दो दिन की सजा, उसका राशन कार्ड छीन लिया जाना और दस साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की बात शामिल है। यदि आप इस तरह की सुविधाएं किसी व्यक्ति की छीनेंगे तो सबसे ज्यादा झटका गरीब आदमी को लगेगा। अगर आपको सुविधाएं छीननी है तो बिजली की सुविधाएं वापस लीजिए, पानी की सुविधा वापस लीजिए, गैस कनेक्शन की सुविधा वापस लीजिए। जब बड़े-बड़े बिजनेस मैन वोट डालने आते हैं तब वहां टीवी कैमरा लगा होता है और अगले दिन उनकी फोटो छपती है। मगर गरीब आदमी की बहुत सारी मजूबरियां हैं। अगर एक दिन उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसको धक्के मारकर आप वोट नहीं डलवा सकते, उसकी सुविधाएं नहीं छीन सकते। मैं जनार्दन जी से अपील करूंगा कि वह इस बिल में संशोधन लाएं, यह प्रोसेस केवल एक दिन का नहीं होना चाहिए। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। दस दिन पहले से वोटिंग शुरू हो जाती है और आखिरी दिन वोटिंग खत्म होती है। हर स्टेट के अंदर अलग-अलग समय पर वोटिंग होती है, किंतु रिजल्ट एक दिन आता है। हमें भी ऐसा इफ्रास्ट्रक्चर इस बिल में लाना पड़ेगा जिसके तहत हर नागरिक के पास बराबर का अधिकार हो, जिससे वह अपने हिसाब से वोट डाल सके। अगर हम मैनडेटरी वोटिंग लागू कर रहे हैं तो हर नागरिक के पास यह अधिकार भी होना चाहिए कि हमारे द्वारा निर्वाचित सांसद, विधायक, जिला परिषद् या सरपंच जब हमारी सोच के अनुसार कार्य न करे तो उसे दुबारा वोटिंग करके वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। चौधरी देवी लाल ने वर्ष 1989 में इसी सदन में कहा था कि जो लोग हमें चुन कर भेजते हैं उन लोगों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे दुबारा वोटिंग करके हमें उस सीट से उतार सकें। राइट टू रिकॉल भी इस बिल में शामिल होना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अगर हम वोटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे हम अपने आधार कार्ड को मोबाइल नम्बर से अटैच कर सकें। हम ऑन लाइन ऐसी व्यवस्था कर पायें कि आज जो भारतीय पढ़ाई या नौकरी करने के लिए विदेशों की धरती पर बैठे हैं, वे भी इस सुविधा का लाभ उठा पायें। वे भी ऑन लाइन वोटिंग करके या अपने मोबाइल के तहत वोटिंग करके इस देश की डेमोक्रेसी में अपना योगदान दे पायें।

माननीय सभापति महोदय, डिजीटल इंडिया का इस बिल में किस तरह से उपयोग होगा, उस बारे में मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वे इस पर भी बड़ी गंभीरता से सोचें। हमारे कई साथी इमर्जेंसी ड्यूटीज करते हैं, जो माइन्स ऑवर्स में काम करते हैं, जैसे डाक्टर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करने वाले जवान हैं या जो वोटिंग वाले दिन हमारे पोलिंग बूथ के बाहर बन्दूकें पकड़ कर बैठते हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं। वोटिंग बूथ के अंदर हमारे मास्टर्स, टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं। मैं अपील करूंगा कि जब हम वोटिंग मेनडेटरी कर रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं लेट ऑवर्स वोटिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि हर सिटिजन, चाहे वह कहीं पर भी ड्यूटी पर हो, वह भी आकर अपने वोट का इस्तेमाल कर पाये।

जहां तक वोटिंग बूथ की बात है, चूंकि यह मेरा पहला चुनाव था, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह देखने में आयी कि बुजुर्ग वोट देने नहीं जाते। मगर मैं एक बूथ चैक करने गया, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि चार युवा साथी एक 93 साल की महिला को चारपाई पर बैठाकर पोलिंग बूथ में भागकर घुसा रहे थे, क्योंकि छः बजने में केवल दस मिनट का समय बाकी था। वह माताजी 93 साल की उम्र में भी वोट डालना चाहती थी, तो हमें ऐसी सुविधा बनानी पड़ेगी। चाहे हम मोबाइल वोटिंग मशीन्स बनानी पड़े, जो 75 साल की उम्र से ज्यादा आयु के व्यक्ति के घर पर जाकर वोट डलवाने का काम करे। उस समय मैं मानूंगा कि हमारे देश में हरेक को बराबर अधिकार है कि वह अपने वोट का उपयोग कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर मेनडेटरी वोटिंग कर दी जायेगी, अगर सदस्य मानेंगे तो उसका समय भी एक से दस दिन का कर दिया जायेगा, लेकिन इससे हमारे कई साथी नाराज भी होंगे। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि यदि वोटिंग पीरियड दस दिन का होगा, तो इस दौरान एग्जिट पोल या टी.वी., अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट चलती है, उसे कम्पलीटिली बैन करना पड़ेगा, क्योंकि दस दिनों में कहीं न कहीं ये लोग वोटर्स को इंफ्लूअन्स भी करेंगे और जो रेल मेनडेटरी वोटिंग का है, वह भी डिस्टर्ब होगा। मैं माननीय सदस्य से यह भी आग्रह करूंगा कि वे इस पर भी सोच-विचार करने का काम करें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये गये हैं कि सरकारी नौकरी, एजुकेशन में भी कम्पलसरी वोटिंग के तहत युवा साथी साथ दे रहा है, उनको सहायता देने का काम करेंगे। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि जितने सुझाव सभी सदस्यों द्वारा दिये गये हैं, उन्हें आप इस बिल में अमेंडमैंट्स के तौर पर लाने का काम करें। आपने बड़ी अच्छी सोच के साथ इस बिल को लाने का काम किया है। मैं अपनी ओर से आपका पूरा समर्थन करता हूं और यही आग्रह करूंगा कि इनमें जो संशोधन जरूरी हैं, उन्हें आप लाने का काम करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): Hon. Chairperson, thank you for giving me time to speak on the Compulsory Voting Bill in this august House. मैं अर्ज करना चाहूंगा कि India is a democratic Republic. इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर डेमोक्रेसी के तहत, प्रजातंत्र के तहत वोटर्स का राज है। हम सब यहां वोट्स के द्वारा आये हुए हैं। लेकिन माननीय सदस्य जो हमारे मित्र हैं, जनार्दन सिंह जी एक लर्निड मैम्बर हैं और यह अच्छे सुझाव के साथ अच्छा बिल लेकर आये हैं। आज की तारीख में चाहे म्युनिसिपैलिटी की वोटिंग हो, पीआरआईज की हो, लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए हो या पार्लियामैंट के लिए हो, 50 टू 60 परसेंट वोटिंग के आधार पर सरकार बनायी जाती है। Sometimes, it goes below 50 per cent and it is a matter which requires loud thinking. वास्तव में यह कैसे चलेगा कि 50 परसेंट वोट दे रहे हैं और उसके आधार पर गवर्नमैंट बनायी जा रही है? आपकी यह सोच सही है कि कम्पलसरी वोटिंग की जाये। उसके लिए आपने एक अच्छा बिल ड्राफ्ट किया और उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं अपने विद्वान साथी को धन्यवाद भी दूंगा और कुछ हद तक इस बिल का समर्थन भी करूंगा, लेकिन जैसे मेरी विद्वान साथी चौटाला जी ने बताया कि इस बिल में कुछ कमियां भी हैं, उनका भी मैं दो मिनट में जिक्र करना चाहूंगा। Elections and voting are the lifeline. प्रजातंत्र बिना वोटिंग के अधूरा है इसलिए अच्छा बिल लाया गया है। 1892 में बेल्जियम में पहली बार कम्पलसरी वोटिंग इंट्रोडयूज हुई थी। 1912 में आस्ट्रेलिया में इसे लाया गया। 32 देश कम्पलसरी वोटिंग के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। 22 देशों में कम्पसलरी वोटिंग है, इसमें ब्राजील, अर्जेन्टीना, चिल्ली, उरुग्वे है। विशेष तौर पर यह लैटिन अमेरिकी देशों में ज्यादा है।

भारत की परिस्थितियों को देखते हुए यह बिल लाया गया है। भारत बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। यहां एक बिलियन के लगभग मतदाता है। कम्पलसरी वोटिंग का क्या तरीका होना चाहिए? आपने यह नहीं लिखा है कि वोट नहीं देने वालों के खिलाफ क्या किया जाएगा। इसमें दो दिन के इंप्रिजनमेंट के बारे में लिखा गया है। आस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, यहां 1912 से यह लागू है लेकिन वहां भी इस प्रकार की पनिशमेंट प्रपोज नहीं की गई है। मेरा मानना है कि इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी को ट्रांसफर कराना होता है तो अपने पिताजी, माताजी या दादाजी को बीमार बताते हैं, इसी तरह लोग सर्टीफिकेट लेने जाएंगे कि उस दिन मैं बीमार था, इसलिए वोट देने नहीं गया। इस तरह वे पैसे खराब करेंगे और करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि इस तरह का प्रावधान न रखें।

क्या भारत को मैल्योर कंट्री के रूप में दिखाना चाहते हैं जिसके कारण कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। आपको कम्पसलरी वोटिंग के लिए मैरिट्स को देखना होगा। कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा वोटों से जीतकर आता है इसका मतलब है कि उसकी लाएबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोग उसे पहचानते हैं, उसकी पापुलेरिटी ज्यादा लोगों में है इसलिए वह इलैक्शन जीत पाया। यह टॉपमोस्ट मैरिट है। डिमैरिट है कि आप किसी मतदाता को कम्पैल करके आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। यह मतदाता की पर्सनल लिबर्टी है, अगर वह वोट नहीं देना चाहता, उसे कैसे इम्पोज कर सकते हैं? उसे कैसे हार्ड प्रैशर दे सकते हैं कि तुम्हें वोट देना पड़ेगा। यह तो उसकी पर्सनल लिबर्टी पर कुठाराघात हो। आपको मैरिट्स और डिमैरिट्स को देखना पड़ेगा। आपने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन आप इसे भी देखें।

कम्पलसरी वोटिंग में मतदान करने के लिए इन्सेन्टिव्स जरूरी हैं। आप देखें कि कम्पलसरी वोटिंग के लिए वर्तमान सिस्टम में इन्सेन्टिव्स इंट्रोडयूज करके किस प्रकार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। कई बार पोलिटिकल पार्टियां बहुत ज्यादा जागरुकता से काम करती हैं, और वोटिंग 70 पर ले आती हैं। पार्लियामेंट की 70-80 परसेंट तक पोलिंग जाती है, विधान सभा की 78-80 परसेंट तक पोलिंग जाती है और यही कारण है कि रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। पोलिंग हाई होती है तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन सी पार्टी आएगी। यह सिस्टम के आधार पर भी है लेकिन इन्सेन्टिव के कारण भी है। पोलिटिकल पार्टियां ऐसा नैटवर्क बनाकर और अच्छे लोगों से संपर्क करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकती हैं। लेकिन इससे पहले इन्सेन्टिव्स की जरूरत है, लोगों को जागरुक करने की जरूरत है ताकि वे वोट को अपना अधिकार समझें। वे समझ सकें कि वोट के क्या फायदे हैं। जो लोग अपने आपको हाइली क्वालिफाइड समझते हैं, वे भी वोट नहीं देते हैं। जैसा अभी उदाहरण दिया गया किया 93 वर्ष की लेडी ने वोट दिया। इसके लिए जागरुकता जरूरी है।

आपने जो बिल पेश किया है, इसमें फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन, रिपरक्शन आदि को देखा गया है। यह बिल वैल ड्राफ्टिड बिल है। मेरा सुझाव है कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। कम्पलसरी वोटिंग की जब परिस्थितियां आएंगी तो सरकार भी इस बारे में सोच सकती है। इस बिल में अभी और संशोधनों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इंसेंटिव्स को और जोड़ा जाए। जहां पर एक तरह से नकारात्मक तरीके से या कुठाराघात्मक तरीके से प्रोविजन्स किये जा रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए या उसका राशन कार्ड निलम्बित कर दिया जाए, वह नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और जहां पर वोट न देने के कारण इतना अधिक उनको हैरेस किया जाए या उनको पनिश किया जाए, ऐसे प्रोविजन्स करना उचित नहीं है। अत: मेरे मित्र एवं विद्वान साथी जनार्दन जी से कहूंगा कि इसको रीड्राफ्ट करें और इसको सही ढंग से लाएं, जैसे कि चौटाला जी ने कई सुझाव दिये हैं। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा कि इस बिल को वापस विदड्रा करके, पुनः नये सिरे से ड्राफ्ट करके, उसमें सारे एक्शंस, रिएक्शंस, रिपरकशंस सारी बातों को देखकर, समझकर ड्राफ्ट करके पेश करें तो ज्यादा उचित होगा। ऐसा मेरे साथी से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय सभापति जी, एक अति महत्वपूर्ण विषय अनिवार्य मतदान पर जो विधेयक हमारे साथी जनार्दन जी लेकर आए हैं, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इन्हें बधाई भी देता हूं कि अच्छा प्रस्ताव आया है। लोकतंत्र की सेहत और सूरत मजबूत और बेहतर हो, इसके लिए यह प्रस्ताव आया है।

सभापति जी, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते, आजादी के महान दीवाने नहीं होते, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सैनानियों ने और हमारे नेताओं ने भारत को आज़ाद कराने में कफी बलिदान और अपना खून बहाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान रचा, उस संविधान में उन्होंने सबको एक वोट का अधिकार दिया। हमारे भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भी है। उसी संविधान ने जो अधिकार दिया कि सभी को मतदान करने का अधिकार है, यहां तक कि चाहे कोई राजा हो या रंक हो या राजा हो या मेहतरानी हो, यानी चाहे कोई महल में रहता हो या झोंपड़ी में रहता हो, मतदान के अधिकार के मामले में सभी एक हो जाते हैं। इसमें स्पेशल प्रिविलेज नहीं है।

इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राजा हो या रंक हो, सभी मतदान केन्द्र पर एक संग दिखेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है लेकिन हमें मतदान को अनिवार्य मतदान करना है। हमारे लोक तंत्र की यह महिमा है जिसके कारण हम आज पार्लियामेंट में हैं। चाहे नर हो या नारी हो, समता के साथ हम वोट करते हैं। जो हमारा वोट देने का अधिकार है, उस वोट देने के अधिकार को हम लूट में नहीं बदल सकते हैं।

मतदान किसी की जमींदारी नहीं है। यह हिस्सेदारी है, भागीदारी है और अपनी मर्जी से मतदान देने की स्वीकृति हरेक को होती है जिसे हमें और भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण बनाना है। वोट के अधिकार को छोट का अधिकार कहा जाता है। वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार है। यानी गरीब का अधिकार है। हजारों साल से दबे हुए लोगों का अधिकार है। जो उपेक्षित हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, नाई हैं या कुम्हार जाति के लोग हैं या जिन्हें आप छोट कहते हैं, यानी वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार है। यही हमारा अधिकार है। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो यहां पर डॉ. राम मनोहर लोहिया नहीं आते, कर्पूरी ठाकुर साहब नहीं आते, मुलायम सिंह यादव जी नहीं आते और लालू प्रसाद यादव जी नहीं आते, नीतिश कुमार जी नहीं आते। ऐसा सभी राज्यों में है।

भारत के विभिन्न राज्यों में है। वोट का अधिकार गरीब को, शोषित को, दलित को, लाचार को, माइनॉरिटी को और मुस्लिम को, सभी को दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि वोट का अधिकार

किसी की जमींदारी नहीं है। पासवान जी आए, रामसुंदर दास आए, जीतन राम मांझी भी आए। सब आए। इसीलिए मैंने कहा कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए। भय मुक्त होना चाहिए। लालच नहीं होना चाहिए। आज दुनिया दौलत, माल-खजाने पर नज़र डालती है लेकिन दौलत, दुनिया, माल-खजाना दुनिया में रह जाएगा, वोट के अधिकार को संविधान में हमें मजबूत करना है। यही लोक तंत्र की गरिमा है। वोट नहीं तो हजारों साल से सताये हुए लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वोट की सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं। वोट की ताकत मजबूत होनी चाहिए और अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरे न उतरें तो सीढ़ी से उतारने का भी अधिकार रहना चाहिए। श्री लोकनारायण जयप्रकाश जी कहा करते थे कि नीचे उतारने का भी अधिकार होना चाहिए। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अगर जनता नाराज हो जाती है तो जिस लोकतंत्र की सीढ़ी से नेता ऊंचाई पर जाते हैं, उसे उतारने की ताकत भी मतदाता में है। मतदाता अगर सीढ़ी पर चढ़ाता है तो उसे उतार भी लेता है। चाहे कोई भी हो कभी भी इतराना नहीं चाहिए। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। आज चाहे एमएलए हो या एमपी हो या सरपंच हो या वार्ड कमिश्नर हो, किसी भी पद पर नर-नारी का भेदभाव नहीं है इसीलिए हम आज इस माइक पर सदन में बोल रहे हैं। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि हमारा जो आदिवासी भाई वहां बैठा है, वह गौरव के साथ बैठा है। हमारी छाती ऊंची होती है कि गरीब को वोट देने का अधिकार मिला है। यही हमारी गरिमा है, यही हमारी ताकत है। चाहे जिस भी राज्य में हो, मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं, वे आज तक ठीक नहीं हुई हैं। मतदाता सूची के नामों में भी हेराफेरी होती है। पुरुष के पहचान पत्र पर महिला की फोटो लग जाती है और महिला के पहचान पत्र पर पुरुष की फोटो लगी होती है। यह स्वयं मैंने देखा है। आज इसे सुधारना सबसे कठिन काम है। उम्र लिखने में भी गड़बड़ी दिखाई देती है। गरीबों के नाम मतदाता सूची में से काट दिए जाते हैं। बूथों पर उनके नाम हटा दिए जाते हैं, इस चालाकी पर भी रोक लगानी बहुत जरूरी है। गरीब लोग चाहे किसे भी वोट दें, लेकिन उनके वोट का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें यातायात की सुविधा भी मिलनी चाहिए। लोगों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र देना सरकार का जिम्मा है। वोटिंग जरूरी है और वोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी है। जंगल में, पहाड़ में, गांवों में रहने वाले लोगों को सताया जाता है। उन्हें अपमानित किया जाता है और कहा जाता है कि यह इलाका आदिवासी लोगों का है, यह गरीब का इलाका है, यहां उग्रवाद है और उग्रवाद के नाम पर वहां के बूथों को 15-15 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है। गरीब आदमी को वोट देने के लिए पांच-पांच नदियां पार करनी पड़ती हैं। बूढ़े लोग, विकलांग लोग इतनी दूर वोट देने के लिए कैसे जाएंगे, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। उग्रवाद के नाम पर बूथों पर कब्जा किया जाता है।

मैं अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों के वोट के अधिकार को सुरक्षित किया जाए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

महोदय, वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि वोटिंग कंप्लसरी क्यों होनी चाहिए, वोट देने का अधिकार हमें भारत माता के उन सपूतों ने दिलाया है, जैसा अभी जय प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में कहा, हमारा देश वर्ष 1947 से पहले गुलाम था। राजगुरू, सुखदेव, चन्दशेखर आजाद आदि ऐसे भारत माता के वीर सपूत थे, जिन्होंने कुर्बानी देकर हमें वोट देने का अधिकार दिलाया। देश का एक संविधान बना। संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक हमें कुछ अधिकार मनुष्य जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। वोट देना अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 32 यह भी कहता है कि अधिकार न मिले तो सुप्रीम कोर्ट दिलवा देगा और किसी की मर्जी है, वह अपने अधिकार का उपयोग करे या न करे। लेकिन यहां मौलिक अधिकार के साथ-साथ हमारा कर्त्तव्य भी बनता है कि हमारे देश के प्रति हमारी कमिटमेंट कितनी है। वोट न देने से कभी-कभी ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं, जो निश्चित रूप से देशद्रोही काम करते हैं और अपने स्वार्थ की बात करते हैं। ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग कहे जाते हैं, शिक्षाविद कहे जाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं, देश के लिए मार्ग बताते हैं कि देश के रणनीतिकारों को इस प्रकार से चलना चाहिए, लेकिन उनको चुनकर भेजने वाले देश के ऐसे लोग होते हैं जिन बेचारों को अपने पेट की भूख पूरी करनी होती है, उनको देश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उनको लगता है कि मैं वोट दूंगा तो यह नेता बन जाएगा और मुझे पांच वर्ष तक कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आज जो मिलता है, उसे मैं ले लूं। ऐसे लोगों को लाभ का लालच दिया जाता है और वे लोग वोट कास्ट कर देते हैं। वोट का महत्व क्या है, कौन लोग चुनकर आने चाहिए, किन लोगों को देश की गति आगे बढ़ानी है या यदि यह देश आजादी के रूप में हमें मिला है तो इसीलिए मिला है कि हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं। अब राजा केवल रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा किसी गरीब की झोपड़ी से भी पैदा हो सकता है। उसके लिए वोट का अधिकार हमें लोकतंत्र में मिला हुआ है। अब ऐसी रानियों के पेट से ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं कि बेचारे बोल भी नहीं पाते, भाषण भी नहीं दे सकते, प्रजेंटेशन भी नहीं रख सकते, पढ़कर बोलते हैं तो आंकड़े भी सही नहीं बोल पाते, फिर भी लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। यह लोकतंत्र का अधिकार हमें इसलिए मिला है कि अगर कोई कैपेबल व्यक्ति है, कोई इस देश को चलाने वाला व्यक्ति है, जो इस देश को दुनिया में आगे ले जा सकता है, देश का नाम आगे बढ़ा सकता है तो उसके लिए वोट की ताकत है। देश के हर नागरिक का यह कर्त्तव्य बनता है। निश्चित रूप से सरकार को भी चाहिए कि उन लोगों में यह जागरुकता पैदा की जाए कि आपके वोट की इतनी बड़ी कीमत है।

देश आजाद होने के बाद जवाहर लाल नेहरु जी प्रधानमंत्री थे, एक बार वह किसी राज्य में गए, वहां एक प्रधान ने उनका गिरेबान पकड़ लिया। नेहरू साहब की गिरेबान पकड़कर वह बोले - तुम कहते थे, हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। तब नेहरू जी ने कहा था कि इसी को आजादी कहते हैं कि तुम्हें देश के प्रधानमंत्री की गिरेबान पकड़ने का अधिकार मिला हुआ है। यही आजादी है, लेकिन आज कुछ लोग इसका मिसयूज करते हुए, केवल सुशासन के नाम से टोपियां पहनकर आज भी लोगों को भटकाव के मार्ग पर ले जा रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं। उनको आजादी का मतलब समझाने के लिए देश में इस कानून में बदलाव लाया जाना चाहिए, वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। अगर सड़क नहीं बनती है तो उस गरीब आदमी की चप्पल टूट जाएगी, साइकिल टूट जाएगी, लेकिन सड़क नहीं बनती है। अगर अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो देश का विकास करने की सोचेंगे। जिन लोगों को वोट के नाम पर शराब पिलाई गयी है या थोड़ा सा लालच दे दिया गया है, वे बेचारे पांच वर्ष तक पाप भोगते रहते हैं। अभी जिक्र किया गया है कि गांवों में पानी नहीं जाता है, सड़कें नहीं जाती हैं, वह इसी कुण्ठित मानसिकता के कारण है कि हम वोट पैसे देकर ले लेंगे, लालच देकर वोट ले लेंगे, जाति के नाम पर ले लेंगे। मेरी जाति का मैं उत्थान करूंगा, इसलिए लोग मुझे वोट देंगे। ऐसे भी लोग वोट दे देते हैं। मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं जो कानूनविद् लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे घरों में बैठे रहते हैं कि इतनी तेज धूप में मैं क्यों जाऊं, आखिर मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है और अपने राज्य का, अपने देश के भाग्य का फैसला वे लोग कर देते हैं, इसको कोई व्यक्ति अन्यथा न ले, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जिन लोगों को अपने भविष्य की जानकारी नहीं होती है, जो सुबह मजदूरी करने जाते हैं और शाम को आते हैं, उन 100 प्रतिशत लोगों को लालच में वोट डालने के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए समझदार लोग भी वोट डालें, देश के प्रति उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, उन्हें आलस्य त्यागना चाहिए। इसलिए वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए। इस प्रस्ताव के पक्ष में मैं यह बात कहूंगा, मैं सरकार वाली बात न कहते हुए, यह कहूंगा कि जब यह कानून लागू होगा तो अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी, लेकिन लोगों को जो सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं डालता है तो पांच वर्ष तक उसे सब्सिडी आदि सरकारी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा प्राविजन देश के कानून में होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता तो उसे सरकार से कोई ग्रांण्ट लेने का भी राइट नहीं बनता है। ऐसा कोई प्राविजन होना चाहिए और देश में वोटिंग कंप्लसरी होनी चाहिए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : सभापति जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और अच्छे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। The Bill to provide compulsory voting by the electorate in the country and matters connected therewith देश भर में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में बने कानून में एक संशोधन पहले भी कर चुके हैं।

कई वर्ष पहले लोग वोटिंग के लिए बहुत ही कम संख्या में जाते थे और लोगों को मतदान केन्द्रों पर लाना पड़ता था। उस समय करीब 52-53 प्रतिशत मतदान होता था। बड़े-बड़ शहरों में तो 27 से 30 प्रतिशत तक ही मतदान हो पाता था क्योंकि,अधिकांश लोग वोट डालने नहीं जाते थे। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं देने जाता तो उसे अगले पांच साल तक सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से वंचित रखना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं और इसलिए मेरा भी मानना है कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। जब चुनाव होता है, लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, अगर किसी को उसकी पसंद का उम्मीदवार अपने क्षेत्र में नहीं लगता तो अब वोटिंग मशीन में 'नोटा' का भी सिम्बल है, वह उसे दबाकर वोटिंग कर सकता है और अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकता है।

हमने यह भी देखा है कि कई जगह किसी एक बस्ती के लोग वोट ही नहीं करते। उनसे पहले ही किसी उम्मीदवार या पार्टी की तरफ से कह दिया जाता है कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे इसलिए आप

वोट करने मत जाना। मैं इसी बात पर एक किस्सा बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। मैंने उन बस्ती वालों से पूछा कहा कि इस बस्ती के लोग वोट करने नहीं आए, तो वहां के लोगों ने कहा कि हमें पैसे दे दिए गए हैं इसलिए हम वोट करने नहीं जाएंगे। इस तरह दूसरे लोग वोट का हक ले लेते हैं और सही मायने में वह जनाधार नहीं कहलाता। इस तरह से कई जगह आज भी वोटिंग के समय भ्रष्टाचार होता है।

हम यह भी देखते हैं और समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि लोग चर्चा करते हैं कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वे ही अधिकांश लोग वोट नहीं करते और फिर सरकार पर या जनप्रतिनिधि पर हमला बोलते हैं कि कोई काम नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई वोट नहीं करता, तो उसे फिर इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप वोट करते हैं, तब आप सरकार या अपने जनप्रतिनिधि के बारे में बोलने का अधिकार सही मायनो में रखते हैं। लेकिन देखा गया है कि वही लोग सरकार या जनप्रतिनिधियों की आलोचना ज्यादा करते हैं जो वोट नहीं डालते। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी पसंद की सरकार या जनप्रतिनिधि चुनना चाहता है तो वह वोट देने अवश्य जाता है।

मैं आपको इस बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब पिछले लोक सभा चुनाव हो रहे थे तो विदेश में रहने वाले मित्र हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने वोट डाला। वे अपने पैसे से यहां आए, वोट डाला और अपने खर्चे से ही वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को वोट डालने आए हैं, क्योंकि मोदी जी की लहर है, वह देश को आगे ले जाएंगे। जब विदेश से यहां लोग वोट करने आ सकते हैं तो यहीं के लोग अपना वोट क्यों नहीं डाल सकते। इस मामले में अभी कुछ सुधार हुआ है और मतदाता सूची में अब व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाती है, जिससे जाली वोट न डाला जा सके।

13वीं लोक सभा में जब एनडीए सरकार थी। उस समय ममता जी एनडी की लीडर थीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी को सिर्फ चार-पांच सीट्स ही मिली हैं, समझ में नहीं आता कि इतने कम वोट कैसे मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और हमारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की छानबीन करने के लिए एक टीम एनडीए की तरफ से भेजी जाए। तब मैं और किरीट सौमेया जी एनडीए के दो प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल गए। हमने वहां चुनाव के दौरान विजिट किया और कई जगह शूटींग भी कराई। हमने कई एरियाज में जाकर लोगों से पूछा और एक मतदान केन्द्र पर हमने देखा कि वहां मतदाताओं की कुल संख्या 800 है और वोट 840 पड़े हैं। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसने ऐसा काम कराया, लेकिन हमने देखा कि फारवर्ड ब्लाक को दो, कांग्रेस पार्टी को एक और तृणमूल कांग्रेस को एक ही मत मिला। जब हमने कहा कि इतनी वोटिंग कैसे हुई और जब हमने इसकी छानबीन की तो वास्तविकता पता चली। फिर मैंने और किरीट सौमेया जी ने रिपोर्ट बनाई और आडवाणी जी दे दी। उसके बाद हम आडवाणी जी के साथ चुनाव आयोग के पास गए और कहा कि देखिए यह कैसे हो रहा है। वहां लोगों ने वोट नहीं किया, फिर भी उनके नाम का वोट डल गया है।

सभापति जी, मेरा मानना है कि कम्पलसरी वोटिंग जरूर होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग वोट नहीं डालते, उनसे सरकारी सुविधाएं जो इस देश में मिलती हैं, वापस ले लेनी चाहिए। इसलिए कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर मतदाता को अधिकार है अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का और उसे वापस बुलाने का भी अधिकार मतदाताओं को होना चाहिए।

मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। मैं जब महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था और मेरे डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन मिनिस्टर था। वह वर्ष 1986 की लोक सभा थी। मेरे कलेक्टर वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे। हमारी वहां मीटिंग चल रही थी। उसी समय एक लेडी वहां आयी। वह काफी एजुकेटिड थी। उसने डबल पीएचडी की हुई थी। वह मीटिंग में आ गयी। मैंने पूछा कि क्या बात है? वह कहने लगी कि हम आपको वोट देते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता है। आप किस तरह के गार्डियन मिनिस्टर हैं। मैंने कहा कि आप अपना काम बताइए। उन्होंने कहा यह-यह काम है। मैंने कहा कि ये काम तो मैंने पहले ही कर दिए हैं। मेरा यह दूसरा काम नहीं हुआ, इस तरह की बातें मुझे सुना रही थी। तभी मेरी नजर उनकी अंगुली पर गयी। जिस पूकार से मेरी अंगुली पर परसों की वोटिंग का निशान है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने वोट डाला है? उन्होंने कहा कि हां किया है। मैंने कहा कि अगर किया है तो आप अपनी अंगुली पर वोटिंग का निशान दिखाइए। उनकी अंगुली देखी तो निशान नहीं था। वह घबरा गयी। हाईली एजुकेटिड मैडम जो हमें सिखा रही थी, उसने वोट नहीं डाला था। वह कहने लगी कि वहां मैं गयी थी, लेकिन वहां वोटिंग नहीं हुई। आजकल तो इलेक्शन कमीशन के लोग घरों में वोटिंग पर्चियां बांटते हैं, लेकिन उस समय पार्टी के कार्यकर्ता ही घर-घर जाकर वोटिंग स्लिप्स बांटते थे। मैंने उनसे कहा कि क्या हमारे कार्यकर्ता ने आपको वोटिंग स्लिप दी थी? उन्होंने कहा कि हां दी थी। मैंने कहा, फिर आप वोट डालने क्यों नहीं गए? वह बोलने लगी कि मैं वहां गयी थी, लेकिन मुझे वहां अपना नाम नहीं मिला, इत्यादि। जब आप लोग वोट नहीं डालते हैं तो आपको इतना बोलने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने उनका काम किया। इसका मतलब यह है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, वे वोटिंग नहीं करते हैं। इसलिए कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। अगर कम्पलसरी वोटिंग होगी तो उनका अधिकार है हम लोगों को बोलने का। अगर हम काम नहीं करते हैं, तो उनको बोलने का अधिकार होता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के द्वारा अच्छा भारत बनाने के लिए और लोग जब कहते हैं कि संसद में अच्छे लोग जाने चाहिए तो उसके लिए वोटिंग भी लोगों को करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार और इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगा कि आप कम्पलसरी वोटिंग का कानून बनाइए। कम्पलसरी वोटिंग में नोटा भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन कम्पलसरी वोटिंग में यदि कोई वोट नहीं डालता है तो उसको पांच साल तक के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Sir, I thank you for allowing me to speak on Compulsory Voting Bill, 2014 which makes voting compulsory for every citizen who is eligible to vote.

In a country like ours which has a huge population, the election process is a strenuous job which is being done efficiently by the Election Commission of India. One has to commend this job of the Election Commission of India. Having said that, voting percentage in our country is not to the expected level.

In the recently concluded elections, in Tamil Nadu, the polling percentage was 75 per cent and above. This shows the awareness level of the citizens of our country and the State of Tamil Nadu.

Each country has a different selection pattern of Members of Parliament or Members of Legislatures or whatever it is. In certain countries, there are percentage-based representations in which elections are held. The total number of votes are calculated, each party gets a number of seats and they get elected according to the number of votes. But in our country, in each constituency, it is the number of votes polled which determines the winner. Some constituencies have 75 to 80 per cent of polling and in some other constituencies; the percentage is less than 50 per cent. This needs to be addressed. We have to see that those who boycott the elections and deliberately avoid voting should be brought to book and some sort of suitable measures or steps should be taken to see that everybody who has got the eligibility to vote should come and cast their votes or exercise their franchise.

It is a good thing that some suggestions are brought forward by the hon. Member like punishment. It is harsh to say it as a punishment. It has to be said that awareness should be created among the citizens so that everybody comes and votes. I do not agree to the suggestion that Government should give some incentive. Since many people are eligible to those types of incentives in a huge country like ours, it is difficult to go in for incentives.

The other thing is to make voting easier. The polling booths should be very near. This is a very good suggestion brought forth by the hon. Member. The polling both should be within the limit of 500 metres so that everybody casts his vote within the area in which he is living. So, it is a very good suggestion.

One more suggestion is that voting should be made compulsory. If it is made compulsory, punishment is not the thing which I believe in. Awareness is needed and it should be made known to the citizens of India. They should be aware of their right to vote. It is their main right. The person who is going to be selected in their constituency should be selected by hundred per cent voters present in the constituency so that the selected candidate is held responsible and accountable to the people for future development of the constituency. So, in that regard, I welcome this Bill. The Government should make voting compulsory by bringing forward suitable measures and steps should be taken in this regard. Certain measures and amendments are needed to do this.

Finally, I really support this Bill. I once again thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्राइवेट मैम्बर बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन जब हम अपने देश की वोटिंग परसैन्टेज को देखते हैं तो हमारे देश में 40-45 परसैन्ट तक वोटिंग होती है। इसलिए कम्पलसरी वोटिंग के बारे में एक प्राइवेट बिल सदन में लाया गया है। इसे कानून के रूप में लाने की गरज अब निर्माण हुई है। क्योंकि हमने देखा है कि 100 परसैन्ट वोटिंग नहीं हुई तो उसमें जो भी लोग अवैध रूप से पैसा, दारू और अन्य प्रलोभनों के माध्यम से चुनाव जीतकर आते हैं, उनके बारे में कोर्ट में केसिज चलते हैं और उनके माध्यम से हमारे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का एक रास्ता निकलता है। किंतु जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इन सब रास्तों से ऐसे लोगों का चुनकर आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 100 परसैन्ट वोटिंग का कानून हमारे देश में आया तो इस देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखने को मिलेगा। डा.बाबासाहेब अम्बडेकर ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया और इस संविधान को बनाने में लगभग दो से ढाई वर्ष का समय लगा। डा.बाबासाहेब अम्बेडकर को उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, वह यह थी कि वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए तो बाबासाहेब का कहना था कि इस देश में जिन लोगों की उम्र 21 साल हो गई है, उन सभी को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। लेकिन उस समय संविधान की जो समिति थी, उसमें कुछ लोगों का आग्रह था कि जो लोग टैक्स भरते हैं, ऐसे लोगों को ही वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने उसमें जिद पकड़ी कि इस देश के सभी लोगों को, चाहे वे गरीब हों या अमीर हों, सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और बाबासाहेब के आग्रह के आधार पर आज हमारे देश में, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है और इस अधिकार का सही उपयोग होने की आज गरज निर्माण हुई है।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल को ऐसे पारित करना चाहिए, जैसे हमने नोटा का बिल पारित किया है। आज नोटा के बिल के बाद समाज में एक अलग प्रवृत्ति आ रही है। अगर हमें किसी को वोट नहीं करना है, गढ़चौली जो महाराष्ट्र में है, वहां पर नोटा दूसरे स्थान पर रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर सौ टका वोटिंग को हम लोग इंप्लिमेंटेशन करेंगे और उसके लिए कानून को और सख्त करेंगे तो मुझे लगता है कि इस नोटा के कानून की गरज नहीं पड़ेगी। अगर सौ टका वोटिंग हुई तो जो लोग 40 पर्सेंट वोटिंग करते हैं और 60 पर्सेंट एण्ड 100 पर्सेंट लोगों ने वोटिंग किया तो इस देश का लोकतंत्र और मज़बूत होगा तथा अच्छे लोग लोक सभा, विधान सभा या हमारी लोकशाही के जितने भी मंदिर हैं, इन सभी जगहों में अच्छे लोगों को जाने का मौका मिलेगा।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यह कानून आप बनाएंगे और सरकार भी उसका समर्थन करेगी, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the time allotted for the discussion of the Bill is almost completed. As there are six more Members to take part in the discussion on the Bill, the House may be extended for further discussion on the Bill. If the House agrees, the time for discussion of the Bill may be extended by one hour. This extension is only for the sake of the Bill. This is a Private Member's Bill and we have six more Members.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, आज तो संभव नहीं है।

माननीय सभापति: सिर्फ बिल का टाईम बढ़ा रहे हैं, सदन का नहीं।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We would discuss this Bill up to 6 o' clock. Then, we would take up `Zero Hour'. Is that okay?

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We are extending the time of the House only for the Bill, afterwards, there would be `Zero Hour'.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Or are we agreeing to extend the time of the House by one hour?

...(*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I am on a point of order. I just wanted a clarification. We are talking about the compulsory voting. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay. We would sit up to 6 o' clock.

...(*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : When we are talking about democracy; democracy means freedom. ...(*Interruptions*) I just want a clarification from the hon. Member who has moved this Bill, how can you make voting compulsory when the basic tenet or belief of democracy is freedom. That is one clarification I wanted. ...(*Interruptions*)

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Mr. Chairman, Sir, the intention of the hon. Member who has brought this Compulsory Voting Bill is good. But the question is not about compulsory voting. The question lies in the whole process of electioneering. The whole process of electioneering is to be a good one. So, the need of the hour is the change in the election process, to maintain the democratic form of Government really of the people, by the people and for the people. For this, I, on behalf of CPI (M), believe that if the proportional representation is used for all

the legislature in our country, then only the real thinking of the people can be observed.

I think the proportional representation is good. Throughout the world, 94 countries have taken up the process of proportional representation. As we see, only in the year 1971, the then Government got more than 50 per cent votes. By getting less than 50 per cent votes in our country all the subsequent Government has been running. So, this system should not be there.

We can culture the real process of electioneering and we can raise the consciousness of the people in our country. We see, in those States where we could raise the consciousness of the people, where the people could believe that the people who were in the election fray, they are really their friends, they can save their interest, then the people do come to cast their votes in our country.

I am from a tiny State, Tripura. Just two days back, one election result has come out in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. In this vote process, near about 85 per cent voting was there. In our State, in Lok Sabha, in Assembly and in other elections we saw that around 85 per cent to 90 per cent voters are coming to cast their votes. So, it is not the matter of compulsory voting but the matter that the Government should sit with all the political parties and discuss for proper representation in the Legislature. It is our demand from the side of the CPI (M) that proportional representation should be there so that the actual position of the party strength should be reflected in the House.

We see today that by getting 31 per cent votes, the BJP is having the majority. The Congress got 18 per cent votes. By this, 31 per cent and 18 per cent votes, the major two Parties got not more than 50 per cent votes. They got less than 50 per cent votes.

But both of them is having near about 60% seats. Actually, the real representation is not being seen in our House. So, it is my demand that this should be kept in mind and the Government should take proper measure for the proper representation. Thank you, Sir.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, आज माननीय सदस्य जनार्दन जी के द्वारा जो अनिवार्य मतदान का निजी विधेयक लाया गया है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, जब मतदान और अनिवार्य मतदान की चर्चा होती है तो मन में एक रोमांच सा उठता है कि -

"मतदान का जिन वीरों ने यह अधिकार दिलाया,

मिली न उनको एक दिवस भी इसकी शीतल छाया।"

जब भी मतदान की बात आती है तो भारत माँ के उन अमर सपूतों के प्रति भी एक बार सिर झुक जाता है जो कभी इसी असैम्बली से उस समय की ब्रितानिया हुकूमत को जगाने की खातिर और अपने इस मतदान के अधिकार को पाने की खातिर फाँसी के फंदे पर भी लटकाए गए। ऐसी परिस्थिति में देश के आज़ाद होने के बाद आज छः से सात दशक होने जा रहे हैं और मतदान के प्रति लोगों में उदासीनता बढ़ती जा रही है। सभापति जी, हम लोग भी गाँव-देहात से आते हैं। जब मतदान के दिन जाकर बूथों की स्थिति देखते हैं तो बूथों पर आज भी हमारे गाँव की गरीब महिलाएँ जो मतदान के पूरे इतिहास को शायद नहीं जानती हैं, लेकिन मतदान के अधिकार को ज़रूर जानती हैं कि मतदान उनका लोकतंत्र में कितना बड़ा अधिकार है। उनको अपने इस हथियार के बारे में पता है लेकिन आज जिसे हम बुद्धिजीवी तबका कहते हैं, वह बंद कमरे में किन्तु और परंतु की समीक्षा तो बहुत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस पावन हथियार का उपयोग जब करना होता है तो मतदान से अपने को विमुख करके अनिवार्य मतदान के ऊपर कुठाराघात करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में बटलर पैलेस कॉलोनी है जहाँ पर सर्वाधिक सिविल सर्विसेज़ के लोग रहा करते हैं। 2007 में मैं अपने गाँव में मतदान डालकर लखनऊ गया चूँकि दो-तीन चरणों में मतदान था। हमारे पिताजी विधान परिषद् के सदस्य थे तो उस समय वहाँ रहते थे और उस आधार पर उनको वहाँ बटलर पैलेस में आवास मिला था। जब मैंने वहाँ जाकर बूथ की स्थिति देखी तो घोर आश्चर्य हुआ कि बटलर पैलेस कॉलोनी में 1568 मतदाता उस समय थे और शाम को जब मतदान बंद हो गया तो मात्र 152 मत पड़े हुए थे। सोचिए कि उसके प्रति उपेक्षा का भाव कौन रख रहा है, जो कहीं न कहीं व्यवस्था के मज़बूत तंत्र को संभालकर बैठा है। ऐसी स्थिति में मैं बधाई देना चाहूँगा इसी देश के गुजरात प्रांत की सरकार को कि जिस सरकार ने इसके लिए एक शुरूआत करने का काम किया और स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदान को अनिवार्य बनाया।

समय की कमी है। चर्चा तो इस पर बहुत होनी चाहिए थी, लेकिन पुनः मैं सीग्रीवाल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चर्चा देश के सामने रखी। मैं इसका समर्थन करता हूँ इस विश्वास के साथ कि इसकी खामियों को दूर करते हुए इसको अनिवार्य बनाया जाए।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे कंपलसरी वोटिंग बिल 2014, जो कि श्री जनार्दन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, यह बहुत सूझ-बूझ और देश को दिशा देने वाला बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

महोदय, यह बड़ी निराशा की बात है कि आज हमारे देश में जो पढ़ा-लिखा और समझदार वर्ग है, जिसके पास देश की नीति बनाने की ज़िम्मेदारी है, जो बड़ी नौकरियाँ करते हैं, बड़े व्यापार करते हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो तरह-तरह की तकलीफें उनको होने लगती हैं और आलस उन पर छाने लगता है। मैंने 2009 में लोक सभा चुनाव लड़ा तो कुल 36 परसेंट मतदान हुआ जो कि बड़ा निराशाजनक है।

17.59 hrs (Dr.P. Venugopal *in the Chair*)

महोदय, यह बिल एक ऐसा बिल है जिसके माध्यम से हम देश को एक अधिकार के साथ कर्तव्य की भावना का भी अहसास करा सकते हैं। महोदय, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण मतदान कम होता है। यह बिल बहुत सारी अच्छी चीज़ों को एकत्रित करता है लेकिन इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैनल्टीज़ लगाती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मतदान लोकतंत्र का एक उत्सव है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैनल्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मतदान करता है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

18.00 hrs

पेनल्टी के अलावा किस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है, हमें इसकी बात करनी चाहिए। दो कारण होते हैं, जिसकी वजह से मतदाता उदासीन हो जाता है। पहली चीज़ होती है कि देश में बहुत सारे चुनाव होते हैं। समय-समय पर पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं। पांच साल में एक मतदाता पांच-पांच, दस-दस बार मतदान करता है तो उसकी वजह से उसे परेशानी होती है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Just a minute. Now, it is six o' clock. You can continue next time. Now, we take up 'Zero Hour'. If the House agrees, we can extend the time of the House.

SEVERAL HON. MEMBERS: All right.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended.

HON. CHAIRPERSON: Shri Sharad Tripathi.